गोचर-ओरण भूमि को बचाने के लिए वन्यजीव प्रेमियों का धरना-प्रदर्शन

बीकानेर, (कासं)। बीकानेर विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में गोचर ओरण को सामान्य भूमि दर्शाने को लेकर वन्यजीव प्रेमियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर साधु-संतों की अगुवाई में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया व जिला कलेक्टर से मिलकर आपत्ति भी दर्ज करवाई।

गोचर भूमि संरक्षण के अधिग्रहण को लेकर गोचर ओरण संरक्षण संघ की ओर से आज दिये गये धरने में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी निभाई। धरने में जुटे वन्य जीव प्रेमियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया व भामाशाहों की ओर से खरीद कर गोचर के लिए छोड़ी गई शरह नथानिया, भीनासर, गंगाशहर, उदयरामसर की जमीन को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। सघ के संयोजक शिव गहलोत ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी हाल में गोचर को उजड़ने नहीं देंगे।

नए मास्टर प्लान में बीकानेर के 188 गांवों की समस्त गोचर भूमि को आवासीय और सार्वजनिक उपयोग के लिए दर्शाया गया है। इसमें विशेष रूप से शरह नथानिया (27,205 बीघा), गंगाशहर (6,800 बीघा), और भीनासर (5,200 बीघा) की ऐतिहासिक गोचर भूमि शामिल है। संगठन के अनुसार राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 और राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955 स्पष्ट रूप से गोचर भूमि के उपयोग को सीमित करते हैं। शरह नथानिया गोचर, जिसे महाराजा करण सिंह ने 1676 में और महाराजा गंगासिंह ने 1909 में गौवंश के लिए संरक्षित किया था। उस पर हाईकोर्ट की निषेधाज्ञा (निर्णय) भी लागू है।

गोचर-ओरण भूमि को बचाने की मांग को लेकर वन्यजीव प्रेमियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर साधु-संतों की अगुवाई में धरना देकर विरोध- प्रदर्शन किया।

बीकानेर के दक्षिण-पश्चिम में स्थित ये गोचर भूमियां शहर को ऑक्सीजन प्रदान करने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। शरह नथानिया गोचर में हजारों जंगली जानवर और लाखों पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि यह योजना कुछ भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए योजना बनाई गई है। इससे आम जनता और पार्टी के बड़े वोट बैंक में भारी रोष है। इस योजना से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और इससे बड़े आंदोलन और प्रदर्शन हो सकते हैं। संगठन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे प्रस्तावित मास्टर प्लान को रद्द करें और 12 दिसम्बर 2024 को प्रकाशित पूर्व योजना को ही बहाल करें, जिसमें गोचर भूमि को गोचर के रूप में ही दर्शाया गया था। ज्ञापन की प्रतियां भारत के गृहमंत्री और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को भी भेजी गई हैं।

कार्यक्रम में जनसमूह ने लगभग 5000 से अधिक आपत्तियां पेश की, जो समिति बीडीए में जमा करवायेगी। इस अवसर पर नवलराम महाराज, विमर्शानंद महाराज, श्यामसुंदर महाराज, किशन महाराज, श्यामगिरि महाराज, गोविंद स्वरूप महाराज, वसुंधरा नन्द महाराज, रामप्रसाद महाराज जोधपुर, भागीरथ दास महाराज, रामाचार्य महाराज, पूर्व मंत्री डॉ बी. डी. कल्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत, उदयरामसर सरपंच प्रतिनिधि हेमंत यादव, बृजरतन किराडू, भाजपा नेता भगवान सिंह मेड़तिया, भाजपा नेता दुर्गाशंकर व्यास, पार्षद अनूप गहलोत, पार्षद नंदू सोलंकी, पार्षद भंवरलाल, भाजयुमो

- **मास्टर प्लान में गोचर ओरण को सामान्य भूमि दर्शाने को लेकर वन्यजीव प्रेमियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर साधु-संतों की अगुवाई में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया**

अध्यक्ष वेद व्यास, भाजयुमो देहात अध्यक्ष जसराज सिंवर, पीसीसी सचिव रामनिवास कूकना, पीसीसी महासचिव जियाउर्रहमान, गणेशदान चारण, पूर्व महापौर मकसूद अहमद, विजय उपाध्याय, मोना सरदार डूडी आदि मौजूद थे।

सभा में पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी का एक ऑडियो सुनाया गया। जिसमें भाटी ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसलिए मैं अनुपस्थित रहा और प्रशासन नहीं मानता है तो व्यापक आंदोलन हम सबकी भागीदारी में होगा। आंदोलन के संयोजक शिव गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए प्रशासन को चेताया और कहा कि अगर प्रशासन अगर समिति की मांगें नहीं मानेगा तो ये आंदोलन विशाल रूप लेगा। आयोजन समिति के सूरजमाल सिंह नीमराना, योगेश गहलोत, सूरज प्रकाश राव, मनोज सेवग आदि ने भी सभा को संबोधित किया।

55 सेंटर पर चपरासी भर्ती परीक्षा

बीकानेर, (कासं)। बीकानेर में 55 सेंटर्स पर शुक्रवार से रविवार तक 3 दिन लगातार रोज 2 पारियों में चपरासी भर्ती परीक्षा होगी। इस परीक्षा में प्रत्येक पारी में 18 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं।

शहर के सार्दुल स्कूल सेंटर पर अभ्यर्थियों की जांच करते हुए उनके कानों के अंदर तक झांका गया। एक-एक परीक्षार्थी के कान तक देखे गए। इसके अलावा बालों को बिखेरकर वहां भी ब्लूटूथ ढूंढा गया। हालांकि किसी भी सेंटर पर अब तक कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) सौरभ तिवाड़ी ने बताया कि भीड़ को देखते हुए 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पहले दिन बीकानेर शहर में स्थित सभी 55 सेंटर्स पर ठीक 10 बजे परीक्षा शुरू हो गई। इससे पहले सभी परीक्षार्थियों की गहन चैकिंग की गई। सेंटर्स पर बायो मैट्रिक के आधार पर एंट्री दी गई। अधिकांश सेंटर्स पर सुबह 7 बजे से ही परीक्षार्थी पहुंचने शुरू हो गए। बीकानेर शहर में अधिकांश आसपास के जिलों के परीक्षार्थी के एग्जाम देने पहुंचे है।

इन 3 दिन में बीकानेर में 56 हजार से ज्यादा परीक्षार्थी पहुंचेंगे। इनके साथ अभिभावक आते हैं तो करीब 70 हजार लोगों का आना जाना रविवार तक रहेगा। पुलिस ने भी भारी भीड़ देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती है। परीक्षा के पहले दिन शुक्रवार को पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हुई। जिसके लिए 1 घंटे पहले तक सुबह 9 बजे तक परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश दिया गया। कड़ी जांच के बाद परीक्षार्थियों को एंट्री दी गई।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/4386 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 19.9.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अक्षय गुप्ता पुत्र श्री अनिल गुप्ता निवासी 56 मॉडल टाउन श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 7 ई छोटी मुरब्बा नं. 26 किला नं. 25 भू.सं. डी-5 माप 25 इंटू 62.5 फीट, श्रीगंगानगर	उक्त भूखंड का पट्टा सं. 10359 दिनांक 09.10.2020 को श्री केवल कृष्ण वधवा पुत्र श्री रामलाल वधवा के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री अक्षय गुप्ता पुत्र श्री अनिल गुप्ता निवासी 56 मॉडल टाउन श्रीगंगानगर द्वारा उक्त भूखंड को पंजीकृत बैयनामा दिनांक 24.06.2025 के द्वारा क्रय कर उक्त भूखंड का ऑनलाईन नामान्तरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्री अक्षय गुप्ता पुत्र श्री अनिल गुप्ता निवासी 56 मॉडल टाउन श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री लीज होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/ दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन संख्या :- SGNR/FY24-25/MUT/441 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/4387 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 19.9.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती संयोगिता सोईन पत्नी श्री गुरबचन राय सोईन निवासी 45 संजय कॉलोनी, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 03 एमएल मुरब्बा नं. 18 किला नं. 01, 10 भू.सं. जैड-13 माप 25 इंटू 60 फीट, श्रीगंगानगर	उक्त भूखंड का पट्टा सं. 18733 दिनांक 23.02.2023 को श्री खुशीदास पुत्र श्री सोहन लाल के नाम से जारी किया हुआ है।	श्रीमती संयोगिता सोईन पत्नी श्री गुरबचन राय सोईन निवासी 45 संजय कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा उक्त भूखंड को पंजीकृत बैयनामा दिनांक 04.08.2025 के द्वारा क्रय कर उक्त भूखंड का ऑनलाईन नामान्तरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्रीमती संयोगिता सोईन पत्नी श्री गुरबचन राय सोईन निवासी 45 संजय कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री लीज होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/ दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन संख्या :- SGNR/FY24-25/MUT/658 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

प्रारूप-10(नियम6(7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़

क्रमांक:1689 दिनांक:19.9.2025

लोक सूचना

मैसर्स श्री मुरलीधर व्यवसायिक, रजिस्र्ट ऑफिस सी-02 मुरबा नंबर 71 किला नंबर 16श्रीनाथ एन्क्लेव चक 4एम.एल.श्रीगंगानगर(1)श्री अजय सिघंल पुत्र श्री श्यामलाल सिंघल जाति अग्रवाल निवासी आर.वी.-16 रिद्धि-सिद्धि-1 श्रीगंगानगर(2)श्री दिनेश रावल पुत्र श्री चन्द्रभान जाति अरोड़ा निवासी 605, विनोबा बस्ती गुरूद्वारा साहिब के पास श्रीगंगानगर कि निचे अल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (व्यवसायिक) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का का नाम	भूमि स्थान	क्षेत्र
तहसील सूरतगढ़	कस्बा सूरतगढ़	खसरासं.729/646,730/646, 743/646,744/646,745/646हैक्टेयर	2.530यानि25300 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम ,1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 19.9.2025 को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़

राजस्थान आवासन मण्डल

RAJASTHAN HOUSING BOARD

(राज.आवा.मण्डल अधिनियम 1970 के तहत गठित राज्य सरकार का उपक्रम)

(A State Government Enterprise Constituted Under RHB Act 1970)

वृत्त-बीकानेर, **Circle-Bikaner**

क्रमांक:-उआआ/आरएचबी/बीका/2025-26/537 दिनांक :- 19/9/2025

आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की खुली बिक्री योजना 1987 में चालान संख्या 26 द्वारा रूपये 6000/- जमा करवाकर श्रीमति सुमन ओबराय पत्नि श्री विमल ओबराय ने आवास आवंटन हेतु पंजीकरण करवाया था। आवंटी को आवास सं. 14/06 मुक्ताप्रसाद नगर बीकानेर का कुल क्षेत्रफल 210.00वर्गमीटर का आवंटन पत्र कमांक 3064 दिनांक 27.3.1996 को जारी किया गया था। उक्त आवास उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर से पंजीकृत नहीं है।

तत्पश्चात श्रीमति सुमन ओबराय की मृत्यु दिनांक 14.2.2025 को हो जाने कारण उनके पति श्री विमल ओबराय ने मृत्यु प्रमाण पत्र ,शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र, पंजीकृत हक त्याग, समस्त पंजीयन प्रपत्रों की छायाप्रति एवम् निर्धारित शूल्क जमा करवा दी गई। उक्त आवास श्री विमल ओबराय के नाम रिलीज डीड के माध्यम से किया गया। उक्त रिलीज डीड उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर से दिनांक 8.3.2025 से पंजीकृत हैं।

श्री विमल ओबराय पुत्र स्व. श्री वेदप्रकाश ओबराय ने समस्त पंजीयन प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति, निर्धारित शुल्क की रसीद जमा करवाकर मण्डल रिकार्ड में अपना नाम द र्ज करने हेतु आवेदन किया है। श्री विमल ओबराय पुत्र स्व. श्री वेदप्रकाश ओबराय का नाम मण्डल रिकार्ड में द र्ज करने की कार्यावाही विचाराधिन है। यदि किसी व्यक्ति/ हितकारी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 10 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री विमल ओबराय पुत्र स्व. श्री वेदप्रकाश ओबराय का नम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। यदि उक्त आवास में उनके वारिसों एवम् अन्य कोई व्यक्ति द्वारा न्यायालय/पुलिस थाना में किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद पाया गया तो आवंटी स्वयं जिम्मेदार होगा।

सहायक आवासन अधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त -बीकानेर

करणीनगर, बल्लभ गार्डन के नहीं बनेंगे पट्टे, मूल दस्तावेज ही नहीं

बीकानेर, (कासं)। उदासर क्षेत्र में खातेदारी जमीन पर बसी कॉलोनियों में रहने वाले काफी लोगों के पट्टे अब तक नहीं बने हैं। कृषि भूमि पर कॉलोनाइज़र सालों पहले ही कॉलोनियां काट चुके हैं। गिरधारी लाल कूंकणा सहित कुछ लोग पट्टा बनवाने अम्बेडकर भवन में लग रहे शहरी सेवा शिविर में पहुंचे।

बीडीए के काउंटर पर एक घंटे तक पूछताछ करते रहे लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। काफी बहस करने पर एक कर्मचारी ने उन्हें ई-मित्र से ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी। कूकणा का कहना था कि जब ई-मित्र ही जाना है तो यहां शिविर क्यों लगाया है। बीजेपी के नेता यहां आकर केवल अपने फोटो खिंचवा रहे हैं। जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। इसी प्रकार खतूरिया कॉलोनी, बल्लभ गार्डन, करणी नगर, सुदर्शन नगर के भी पट्टे नहीं बन रहे हैं।

- **रजिस्टर्ड चेन के मूल दस्तावेज निगम में जमा कराने पर ही 69-ए में पट्टे बन सकेंगे**

निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा का कहना है कि खतूरिया कॉलोनी शिवबाड़ी पंचायत की जमीन पर बसी है। जबकि अन्य कॉलोनियां फ्री होल्ड पट्टा लैण्ड है। राज परिवार की जमीन है। इसका एकल पट्टा है। रजिस्टर्ड चेन के मूल दस्तावेज निगम में जमा कराने पर ही 69-ए में पट्टे बन सकेंगे। लेकिन मूल दस्तावेज लेकर कोई नहीं आ रहा है। सभी के पास फोटो कॉपी है। उन्होंने बताया कि 69-ए में उन्हीं के पट्टे बनाए जा रहे हैं, जिनके पास मूल पट्टा और चेन के मूल दस्तावेज हैं और निगम को सरेंडर कर सकते हैं।

सेवा शिविर में गुरूवार को बल्लभ गार्डन के बाशिंदे भी पहुंचे। लाल मोहम्मद ने निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा को बताया कि टेक्नोक्राफ्ट कंपनी नई सीवर लाइन बिछा रही है, जिसे पटेल नगर पुलिया तक लाकर छोड़ दिया है। पुलिया डैमेज हो रही है। सीवर लाइन लीकेज है। इसलिए कंपनी पुरानी लाइन से ही नई लाइन को जोड़ रही है। जबकि बल्लभ गार्डन तक नई लाइन बिछानी चाहिए। आगे तक सीवर लाइन जाम पड़ी है, जिसकी वजह से चिराग होटल के पास सुदर्शन नगर की ओर जाने वाला मार्ग टूटा पड़ा है। खुले भूखंडों पर गंदा पानी पसरा हुआ है। इसके अलावा सुदर्शन नगर पंप हाउस तक सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। लाल मोहम्मद ने बताया कि इस समस्या की जानकारी एक्सईएन चिराग गोयल को भी दी थी, लेकिन उन्होंने कोई समाधान नहीं किया।

डिग्गी पर तर्पण

नोखा, (कासं)। रोड़ा रोड स्थित काना महाराज की खेड़ी में बनी पानी की डिग्गी पर पितृ पक्ष के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने तर्पण किया। इस दौरान पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति की कामना की गई। शुक्रवार को पंडित नरसी पानेचा ने विधि-विधान से तर्पण कार्यक्रम संपन्न करवाया।

भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू हुआ पितृ पक्ष आश्विन मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या तक चलता है। हिन्दू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस पक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम में कन्हैयालाल करवा, कन्हैयालाल मोदी, नारायण मूंधड़ा, देवकिशन रांकावत, ओम सोनी, श्यामसुंदर सोनी, गोपाल तापड़िया, जयप्रकाश मोदी, आशकरण भट्टड, श्यामलाल झंवर, मदनलाल चांडक, गोरधन पंचारिया, रामकुमार भूतडा, महावीर मोदी, पार्षद राधेश्याम लखोटिया सहित कई लोगों ने अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया।

बोलेरो की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत

सूरतगढ़, (कासं)। सूरतगढ़-अनूपगढ़ सड़क मार्ग पर गांव करमली वाली ढाणी के पास शुक्रवार को बोलेरो की टक्कर से एक वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतका सावित्री देवी (70) पत्नी बंशीलाल बावरी गांव 2 पीपीएम की रहने वाली थी। वहीं हादसे के बाद बोलेरो जीप भी पलट गई। मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। सदर थाना के हैड कांस्टेबल सज्जन कुमार ने बताया कि मृतका सावित्री देवी की बहन के बेटे वेदप्रकाश बावरी की रिपोर्ट पर बोलेरो ड्राइवर के खिलाफ तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर महिला को टक्कर मारने के आरोप में केस दर्ज किया है। हैड कांस्टेबल ने बताया कि रिपोर्ट में उसने लिखाया है कि मौसी सावित्री देवी मेरी मां संतों देवी के साथ मानकथेडी गांव में एक रिश्तेदार के यहां शोक जता कर करमल वाली ढाणी बस स्टैंड पर बस से उतर कर दोनों पैदल गांव की ओर जा रही थी तथी बोलेरो ने टक्कर मार दी।

पार्क में जल्द चलेगी टॉय ट्रेन

बीकानेर,(कासं)। बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा पब्लिक पार्क स्थित विभिन्न पार्कों के सौन्दर्यकरण, नियमित साफ-सफाई, लाइट व्यवस्था और फाउंटेन के रखरखाव से जुड़े कार्य करवाये जा रहे हैं।

जिला कलेक्टर और बीडीए अध्यक्ष नम्रता वृष्णि ने बताया कि गंगा थियेटर के पास स्थित पार्क में कन्या वाटिका विकसित की जा रही है। इसके लिए 23.10 लाख रूपए के कार्यों के कार्यादेश से कार्य प्रारम्भ किए जा रहे हैं। इन्दिरा पार्क के विकास का कार्य भी प्रगतिरत हैं। इस पर 50 लाख रूपए व्यय किए जायेंगे। बीडीए आयुक्त अपर्णा गुप्ता ने बताया कि पब्लिक पार्क के पास स्थित टॉय ट्रेन स्थल को एमओयू के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। यहां जल्दी ही टॉयट्रेन प्रारंभ होगी। इसका ट्रायल शुरू हो गया है।

थानों में कैमरों की रिकॉडिंग रखनी होगी

बीकानेर, (कासं)। पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरे किसी भी सूरत में बंद नहीं होंगे। उन्हें लगातार ऑन रखना होगा। कैमरों की रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखनी होगी और इसका जिम्मा पुलिस थानों के एसएचओ का होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाये गए जिससे कि मुख्य स्थानों की गतिविधियों का रिकॉर्ड रहे।

जरूरत पड़ने पर अनेक मामलों में सामने आया कि पुलिस थाने के सीसीटीवी खराब होने के कारण रिकार्डिंग नहीं मिल पाई। इसे देखते हुए तय किया गया है कि अब पुलिस थानों के कैमरे किसी भी सूरत में बंद नहीं होंगे। कैमरे लगातार ऑन रहेंगे और हार्ड डिस्क में उनकी रिकॉर्डिंग भी

- **सुप्रीम कोर्ट का आदेश सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना होगा**

सुरक्षित रखनी होगी। यही नहीं कैमरे चालू हैं और उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। इसकी जानकारी प्रतिदिन रोजनामचे में भी इन्द्राज करनी होगी। इसके लिए एसएचओ जिम्मेदार होंगे। उसे सीसीटीवी कैमरों में किसी भी तरह की खराबी की सूचना तत्काल जयपुर में स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को देनी होगी। सर्किल सीओ को प्रत्येक माह के शुरूआती सप्ताह में रिकॉर्डिंग देखकर पता लगाना होगा कि थाने में किसी के साथ उत्पीड़न की घटना तो नहीं हुई है।

गलत इरादे से नाबालिग का हाथ पकड़ा

श्रीगंगानगर, (कासं)। सदर थाना में नाबालिग को पोक्सो एक्ट के तहत गलत इरादे से छूने व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है।

पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र की कॉलोनी के निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। नाबालिग के पिता ने पुलिस को बताया कि उसके पड़ौस में रहने वाले दो व्यक्ति घर में घुस गए। उस समय घर पर उसकी नाबालिग बेटी अकेली थी। परिवादी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसकी बेटी का हाथ पकड़ लिया। शोर मचाने पर दोनों मौके से भाग गए। परिवादी ने पुलिस को बताया कि इस बात का उलाहना दिया तो आरोपियों ने उसे व उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई आज बीकानेर आयेंगे

बीकानेर, (कासं)। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश बी. आर. गवई शनिवार को बीकानेर आयेंगे। बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई होंगे। अपने दौरे में मुख्य न्यायाधीश गवई ई-कोर्ट और नालसा की गतिविधियों की समीक्षा भी करेंगे।

केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल 20 सितम्बर को दोपहर 2 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से प्रस्थान कर दोपहर 3:15 बजे बीकानेर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मेघवाल शनिवार दोपहर 3:30 बजे महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम 'संविधान के 75 वर्ष तथा संविधान निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की भूमिका' में भाग लेंगे

डी.जे. अतुल कुमार सक्सेना, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सागर ने तैयारियों का जायजा लिया।

तथा रात्रि विश्राम बीकानेर में करेंगे। मेघवाल 21 सितम्बर को प्रात: 10 बजे हवाई मार्ग से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्य न्यायाधीश के कार्यक्रम के मद्देनजर शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और एस.पी. कावेंद्र सागर ने तैयारियों का जायजा लेकर अंतिम रूप दिया। इस दौरान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मांडवी राजवी, बीडीए उपायुक्त कुणाल राहड़, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक शर्मा, कार्यक्रम कॉर्डिनेटर अशोक प्रजापत, कमल सिपानी, विजयपाल बिश्नोई, संजय रामावत, रामरतन गोदारा, हेमाराम चौधरी, वरूण शर्मा, नवरतन, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कुलसचिव डॉ. बिट्ठल बिस्सा मौजूद रहे। अतिरिक्त कलेक्टर (नगर) रमेश देव ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर 16 विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई जायेगी। इस दौरान वरिष्ठ न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने वीआईपी और अन्य प्रतिभागियों के प्रवेश, निकास, बैठक, साउंड सिस्टम, मिनिट टू मिनिट, डायस प्लान, सुरक्षा सहित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की।